दि बी.ए.आर.सी. कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित,मुंबई

(पंजीयन संख्या : 29770)

आर-5 शेड, बी.ए.आर.सी., ट्रॉम्बे, मुंबई - 400 085

दिनांक 19 अगस्त, 2014 को संपन्न हुई 53वीं वार्षिक साधारण सभा का कार्यवृत्तांत

दि बी.ए.आर.सी एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडीट सोसाइटी लिमिटेड की 53वीं वार्षिक आमसभा बी.ए.आर.सी. सेंट्रल कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम में दिनांक 19 अगस्त, 2014 को अपराह्न 2.00 बजे आयोजित की गयी थी। परंतु संस्था के पदेन अध्यक्ष श्री. जी.डी. बेलोकर साहब ने गणपूर्ति के अभाव में आधे घंटे के लिये सभा स्थगित की और उक्त सभा दोपहर 2.30 बजे आरंभ हुई।

संस्था के पदेन अध्यक्ष माननीय श्री. डी.जी. बेलोकर साहब : आज हम अपनी क्रेडिट सोसाइटी की 53वीं वार्षिक आमसभा के लिये यहाँ उपस्थित हुए हैं। मंच पर उपस्थित पदेन उपाध्यक्ष श्री. जी.टी. अलेक्स साहब, संस्था के सभी पदाधिकारी, प्रबंधन समिति के सदस्य और सभागृह में उपस्थित संस्था के सभी सदस्यों का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। पिछले माह दिनांक 16 जुलाई, 2014 को अपनी क्रेडिट संस्था की विशेष आम सभा हुई थी और उक्त सभा में पारित संकल्पों को मंजूरी के लिये मा. निबंधक, पुणे के कार्यालय में भेज दिये गये है। मंजूरी मिलते ही उन संकल्पों को कार्यान्वित किया जायेगा। विशेष आमसभा में ऋण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हो जाने के कारण सदस्यों ने आनंद व्यक्त किया है। अपनी संस्था की आर्थिक स्थिति मजबूत है और दिन प्रति दिन उसमें प्रगति हो रही है। रिपोर्ट वर्ष की अवधि में यदि हमारी संस्था का

लेखा देखे तो संस्था की फ्लोटिंग शेयर पूँजी रूपये 251 करोड़ और वार्षिक टर्न ओवर रूपये 26.93 करोड़ तक हैं। रिपोर्ट वर्ष की अवधि में हमारी संस्था को लगभग 9.17 करोड़ तक कुल लाभ हुआ है। इसमें से रूपये 2.48 करोड़ का निधि आवश्यक लेखों को स्थानांतरित किया गया है और कुछ लाभ रूपये 6.69 करोड़ हुआ है। इसीलिये आपको हमारी संस्था के तुलन पत्र के प्रावधानों और निधि लेखों में अधिकतम वृद्धि दिखायी देगी। रिपोर्ट वर्ष के अवधि में शेअर्स पर 15% की दर से लाभांश वितरण करने की सिफारिश की गयी है। इसे आपको मंजूर करना है। संस्था पर सदस्यों द्वारा दर्शाये गये विश्वास के कारण जमा राशियों में 14 करोड़ से अधिक की वृद्धि हुई है। संड्री क्रेडिटर्स की राशि में जिन सदस्यों के लाभ है, उन्हें उक्त राशि का वितरण किया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि संस्था के प्रशासकीय व्यय की सीमा 2% रहते हुए भी रिपोर्ट अवधि के दौरान संस्था का प्रशासकीय व्यय केवल 0.5% हुआ है। तात्पर्य यह की संस्था का कार्य कम से कम खर्च में चल रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष संस्था द्वारा मुंबई जिला मध्यवर्ती बैंक में अल्पावधि जमा (Short Term Deposit) खाते में रूपये 16 करोड़ से अधिक का निवेश किया है और पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में 4% के अनुपात में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान संस्था द्वारा रूपये 225 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। यह क्रेडिट सोसाइटी आप सभी सदस्यों की है इसीलिये ऋणधारक सदस्यों को अनुरोध है कि ये अपने द्वारा उठाये गये ऋण राशि का उद्देश्य पूर्ण करें तथा ऋण की धन वापसी संस्था को नियमित रूप से करें। अपने संस्था के कार्यालय की जगह पर्याप्त नहीं है, छोटी है तथा जगह की आवश्यकता है। इसीलिये हमें संस्था के कार्यालय के लिये पर्याप्त जगह प्राप्त करने के लिये प्रयास करना होगा। इसी तरह संस्था के वर्तमान कार्यालय की सुरक्षा और सजावट पर विचार करना आवश्यक है। संस्था के प्रबंधन समिति के निर्वाचन के संबंध में सदस्यों में कुछ द्विधा है। मैं सभी को यह बताना चाहता हूँ कि 97वें घटना संशोधन के अनुसार क्रेडिट सोसाइटियों का निर्वाचन राज्य सरकार निर्वाचन प्राधिकरण के माध्यम से किया जायेगा तथा संस्था के द्वारा इस विषय के

संबंध में समय समय पर पत्राचार जारी है। हांल ही में अर्थात दिनांक 14 जुलाई, 2014 को संस्था के सचिव द्वारा राज्य सरकार निर्वाचन प्राधिकरण को पत्र देकर अपनी क्रेडिट सोसाइटी का निर्वाचन तत्काल करने का अनुरोध किया गया है। निर्वाचन प्राधिकरण में इसका जवाब प्राप्त होते ही निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ की जायेगी। हम जानते हैं कि संस्था की प्रबंधन समिति और हम सब सदस्य डीएई के कर्मचारी है। इसीलिये प्रबंधन समिति के सदस्यों को अपने विभाग की जिम्मेदारी के साथ साथ सोसाइटी की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। सदस्यों को समय पर लाभांश मिले इसीलिये समय पर लेखा परिक्षण कर वार्षिक आमसभा समय पर आयोजित करने के लिये प्रबंधन समिति ने जो नेक और कठोर परिश्रम किये हैं, उनका मैं व्यक्तिगत रूप से और आप सभी की ओर से विशेष प्रशंसा करता हूँ। अपनी संस्था के कर्मचारियों द्वारा दी गयी अच्छी सेवा के लिये मैं उनका भी अभिनंदन और प्रशंसा करता हूँ। अपनी संस्था के कर्मचारियों द्वारा दी गयी अच्छी सेवा के लिये मैं उनका भी अभिनंदन और प्रशंसा करता हूँ। भविष्य में भी उनकी ऐसे ही सेवा मिलती रहें और आवश्यकता नुसार उसमें सुधार करें। आमसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा किये गये संकल्प सभी सदस्यों को लागू होते हैं। इसीलिये उपस्थित सदस्यों का सक्रिय योगदान अपने मित्र सदस्यों को लाभदायी होने में मददगार होगा। मुझे यह कहने में आनंद हो रहा है कि सहकार भारती, सहकार प्रशिक्षण केंद्र की ओर से दिनांक 27.04.2014 को संपन्न हुई सहकार सम्मेलन में हमारी संस्था को प्रथम पुरस्कार घोषित हुआ। सिक्कीम के राज्यपाल के करकमलों से प्रदान किया गया यह गौरव पुरस्कार हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री. शिवाजी पाटील ने स्वीकार किया है। इस गौरव पुरस्कार के लिये मैं प्रबंधन समिति और आप सभी का मनःपूवर्क अभिनंदन करता हूँ और इसी तरह प्रगति पथ पर बढ़ने की शुभेच्छा करता हूँ। अपनी संस्था के नाम के आगे भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटर (बीएआरसी) इस प्रतिष्ठित और गौरव प्राप्त संस्था का नाम जुड़ा है। इस संस्था की वजह से ही बीएआरसी कर्मचारी सहकारी सोसाइटी का उदय हुआ है। इस नाम का महत्त्व को ध्यान में लेते हुए सभी के आचरण से हम इस नाम की शोभा बढ़े, यह जरूरी

है। संस्था तथा सदस्यों के हितों को ठैस न लगाते हुए संस्था के साथ व्यवहार करना चाहिए। जिससे अपनी संस्था के नाम को कालिख न लगे तथा सभी ने एकजूट होकर एकमत से संस्था की प्रगति करे यही आपसे अनुरोध करता हूँ। सभी का सहकार्य और सक्रिय योगदान ही संस्था की प्रगति में सहायक होता है। प्रजातंत्र में विरोध करने एवं अपने विचार व्यक्त करने का सभी को अधिकार हैं, परंतु यह सभी के हितों की भूमिका में हो। हमें इस सभागार में वार्षिक आमसभा आयोजन की अनुमति अधिक से अधिक 6 बजे तक मिली हुई है। इस सभा का कामकाज इससे पहले ही हमें समाप्त करना चाहिए। विषय सूची लम्बी है ओर उसे कम से कम समय में पूरा करना है। इसीलिये सदस्यों में अपना मत कम से कम समय में पूरा करना है। इसीलिये सदस्यों ने अपना मत कम से कम समय में तथा मुद्दों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभागार में कोई भी गड़बड़ी या दुराचरण न करें। एक समय एक ही सदस्य को बोलना हैं। एक ही वक्त एक से अधिक सदस्य न बोलें, इस पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। सभागार में विडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गयी है। सभा का कार्य समाप्त न होने पर सभा स्थगित कर पुनः आरंभ नहीं की जायेगी। आज ही विषय सूची के अनुसार सभी विषयों पर चर्चा समाप्त करना है। प्रबंधन समिति ने 97वीं घटना संशोधन के अनुसार विषय सूची पर विषय रखें हैं। हम सभी विषयों पर चर्चा के लिये तथा सभा आरंभ करने के लिये मैं संस्था के अध्यक्ष श्री. शिवाजी पाटीलजी को निवेदन करता हूँ। आप सभी की आशंकाओं का समाधान किया जायेगा। माननीय सचिव, अध्यक्ष तथा प्रबंधक समिति के पदाधिकारी पदेन अध्यक्ष अनुमति से आप सभी के सवालों के जवाब देंगे। धन्यवाद!

अध्यक्ष श्री. शिवाजी पाटील : संस्था के पदेन अध्यक्ष श्री. डी.जी. बेलोकर साहब, पदेन उपाध्यक्ष श्री. अलेक्स साहब, संस्था के मा. सचिव श्री. अरूण कोली, प्रबंधन समिति के उपस्थित पदाधिकारी, प्रबंधक सदस्य तथा उपस्थित सभी सदस्यों का 53वीं वार्षिक आमसभा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभा आरंभ करने से पहले हमें दो मिनट खड़े होकर वर्षावधि में मृत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है।

उपस्थित सदस्यों ने दो मिनट खड़े होकर वर्षावधि में मृत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

अध्यक्ष श्री. शिवाजी पाटील : हर वर्ष हम रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय अपना रेखाचित्र देखते हैं। हमारी प्रगति का रेखाचित्र ऊपर बढ़ रहा है और इस संबंध में श्री. बेलोकर साहब ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ही बताया है। हम विषय सूची के अनुसार में विषयों की चर्चा करेंगे। विषय सूची लम्बी है। इसमें हर विषय पर उचित रूप से चर्चा करें और उसे मंजूर करें। विषय के अनुरूप आपके जो भी प्रश्न है उस पर विस्तार से चर्चा कर उत्तर दिया जायेगा। गड़बड़ी न करते हुए एक वक्त पर एक ही सदस्य प्रश्न करेगा तब सभी के प्रश्नों के उत्तर दिये जायेंगे, यह आश्वासन मैं देता हूँ। यह सभा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करने में आपका सहयोग मिले यहीं आशा करता हूँ तथा संस्था के मानद सचिव श्री. अरूण कोली इन्हें सभा आरंभ करने का निवेदन करता हूँ।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : पाटील साहब, सुस्वागतम! 53वीं वार्षिक आमसभा में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र के आराध्य छत्रपती श्री शिवाजी महाराज, भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जनक डॉ. होमी भाभा की प्रतिमाओंको अभिवादन करता हूँ। मंच पर उपस्थित मान्यवर संस्था के पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब, पदेन अध्यक्ष श्री. अलेक्स साहब, संस्था के अध्यक्ष श्री. शिवाजी पाटील, सभी प्रबंधन सदस्य और उपस्थित सभी सदस्य भाईयों तथा बहनों, 53वीं वार्षिक आमसभा की विषय सूची के अनुसार मैं सभा आरंभ करता हूँ।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने विषय सूची का विषय क्र. सं. 1 सदस्यों को पढ़कर सुनाया।

<u>विषय क्र.सं. 1 : दिनांक 7 अगस्त, 2013 को संपन्न 52वीं वार्षिक आमसभा तथा दिनांक 16 जुलाई, 2014 को संपन्न विशेष आमसभा का कार्यवृत्त पढ़कर मंजूर करना।</u>

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : सभी सदस्यों को गत दोनों सभाओं के कार्यवृत्त दिये गये है। यदि उनमें कोई त्रुटियाँ हो तो बताईये, जिससे उनमें सुधार किया जा सके। यदि कोई त्रुटी या आशंका न हो तो कृपया उक्त कार्यवृत्तों को मंजूरी प्रदान करें।

श्री. डी. एस. राजापुरे : गत 53वीं वार्षिक आमसभा में मैंने सोसाइटी को पत्र दिया था। इस संबंध में काफी चर्चा हुई। उसका इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : कार्यवृत्त में श्री. राजापुरे इनके पत्र का उल्लेख किया जायेगा। रिपोर्ट में कुछ छपाई की गलतियाँ हैं क्या, इस संबंध में कोई सूचना हो तो सदन को तदनुसार बताईयें। उन गलतियों को ठीक किया जायेगा।

श्री. सुभाष कांबले (FRD) : विशेष आमसभा 16 जुलाई, 2014 को संपन्न हुई। इसीलिये उक्त सभा का कार्यवृत्त मंजूर करने का मुद्दा अगली आमसभा में रखा होता तो ठीक था, यह आमसभा का अवधि 31मार्च, 2014 तक है।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : विशेष आमसभा के तुरंत बाद ही यह आमसभा का आयोजन किया गया इसीलिये यह कार्यवृत्त इस सभा के समक्ष रखा हैं।

श्री. सुभाष कांबले : यह आगामी आमसभा में भी रख सकते थे। आपने विशेष आमसभा में ऋण सीमा बढ़ाने की मंजूरी ली है।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : अगर आप नहीं चाहते हैं तो यह विषय निकालकर आगामी वर्ष में रखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं हैं। प्रबंधन समिति ने चर्चा कर यह विषय सूची तैयार की। यदि सभागृह कहता है कि यह विषय आगामी वर्ष में रखा जायें तो ऐसा भी कर सकते हैं।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : यदि सभी सदस्यों का मत ऐसा हो कि इस सभा में उक्त विषय न रखें तब उक्त विषय आगामी सभा में रखा जायेगा।

सभागृह में विषय बहुमत से साबित हुआ इसीलिये यह विषय अगले साल किया गया।

किसी का कोई विशेष या छपाई की त्रुटियाँ नहीं हैं यह मान कर सभागृह की अनुमति से विषय क्र. सं. 1 पारित किया गया और तदनुसार संकल्प किया गया।

<u>संकल्प</u> : संकल्प किया जाता है कि दिनांक 7 अगस्त, 2013 को संपन्न 52वीं वार्षिक आमसभा के कार्यवृत्त में श्री. राजापुरे इनके पत्र की प्रविष्टी कर उक्त कार्यवृत्त को आमसभा में मंजूरी प्रदान की है और उसे कायम किया गया है।

सुझाव : श्री. ए.पी. चौधरी (RRMD)

अनुमोदन : श्री. डी. जी. जुवाटकर (RRMD)

संकल्प बहुमत से मंजूर किया गया।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली इन्होंने विषय सूची में विषय क्र. सं. 2 सदस्यों के समक्ष पढ़ा।

<u>विषय क्र. सं. 2 : दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 इस अवधि का वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरिक्षित तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा को मंजूरी प्रदान करना।</u>

श्री. कांबले : कोली साहब, आपने जो वैधानिक लेखापरिक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत किया है उसकी तारीख 27.06.2014 है और आंतरिक लेखापरिक्षण रिपोर्ट की तारीख 10.07.2014 है। रिपोर्ट तैयार करने के लिये पहले आंतरिक लेखापरिक्षण और बाद में वैधानिक लेखापरिक्षण करना चाहिये।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : आपकी जानकारी के लिये कहता हूँ। संस्था के भूतपूर्व पदेन अध्यक्ष श्री जावले साहब 31 मई, 2014 को सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद 26 जून, 2014 को नवनिर्वाचित पदेन अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। लेकिन प्रबंधन समिति ने दिनांक 9 मई, 2014 और दिनांक 30 मई, 2014 को प्रबंधन समिति की सभा में तुलनपत्र पर चर्चा की थी और यह तुलनपत्र आंतरिक तथा वैधानिक लेखापरिक्षण के लिये दिया था। संस्था की परंपरा के अनुसार आंतरिक लेखापरिक्षकों के साथ संस्था के पदेन अध्यक्ष तथा पदेन उपाध्यक्ष की तुलनपत्र पर चर्चा होने के बाद यह तुलनपत्र अंतिम समझा जाता है। पदेन अध्यक्ष की नियुक्ति दिनांक 26 जून, 2014 को होने के बाद दिनांक 10 जुलाई, 2014 को प्रबंधन समिति की बैठक में पदेन अध्यक्ष तथा पदेन उपाध्यक्ष के साथ उक्त तुलनपत्र पर चर्चा हुई और आंतरिक लेखा परिक्षकों ने उसी दिन उक्त तुलनपत्र पर हस्ताक्षर किया। परंतु वैधानिक लेखापरिक्षकों तथा आंतरिक लेखापरिक्षकों में अपनी अपनी रिपोर्ट पहले ही तैयार कर दिये है। दोनों रिपोर्ट आपके समक्ष मंजूरी के लिये रखे हैं।

श्री. एस. टी. कांबले : ठीक है।

श्री. यदुवीर सिंग (TSD) : वैधानिक लेखा परिक्षकों की नियुक्ति कब हुई ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : दिनांक 20.08.2013 को प्रबंधन समिति की बैठक में हुई है।

श्री. यदुवीर सिंग (TSD) : प्रबंधन समिति की दिनांक 30.08.2014 की बैठक में नियुक्ति करने की वजह क्या ?

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : हम सभी विषय सभा के विषय के अनुसार लेने चाहिये।

श्री. सचिन उसरकर (WIP) : 97वीं घटना संशोधन के अनुसार संस्था का काम करते हुए आप ऐसी नियुक्ति कैसे करते हों ? यह आमसभा का अपमान नहीं है क्या ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : मैं आपको विस्तार से उत्तर देता हूँ। 97वीं घटना संशोधन के अनुसार बदली हुई आदर्श उपविधि का स्वीकार करने के लिये अपनी संस्था की दिनांक 15.04.2013 को विशेष आमसभा आयोजित की गयी। उक्त सभा में मंजूर हमारी संस्था की आदर्श उपविधि का प्रस्ताव संस्था द्वारा दिनांक 19.04.2013 को सहकार विभाग को मंजूरी हेतु भेजा गया। सहकार विभाग ने उसे दिनांक 31.10.2013 को मंजूरी प्रदान की और संस्था को यह मंजूरी दिनांक 18.11.2013 को प्राप्त हुई और दिनांक 01.12.2013 से यह नयी उपविधि संस्था को लागू हुई। परंतु दिनांक 15.04.2013 से 18.11.2013 के दौरान संस्था की वार्षिक आमसभा दिनांक 07.08.2013 को हुई। 97वें घटना संशोधन के अनुसार आदर्श उपविधि मंजूर न होने के कारण यह सभा पहले की उपविधि के अंतर्गत आयोजित की गयी और उसी तरह विषय सूची भी दिनांक 15.07.2013 को अंतिम की गयी तथा वार्षिक आमसभा का आयोजन किया गया। पहले की उपविधि के अनुसार प्रबंधन समिति को दिये गये अधिकारों के अंतर्गत दिनांक 30.08.2013 को प्रबंधन समिति की बैठक में वैधानिक लेखापरिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी और वैधानिक लेखापरिक्षकों की अनुमति पत्र के साथ सहकार विभाग को दिनांक 23.08.2013 को उस तरह सूचित किया गया था।

श्री. सचिन उसरकर : जिन लेखापरिक्षकों की आपने नियुक्ति की है उन लेखापरिक्षकों की नियुक्ति न करें ऐसा गत दो वर्षों पहले अपनी सभा में संकल्प किये जाने के बाद भी आपने उन्हीं लेखापरिक्षकों की नियुक्ति क्यों की ? उसी समय प्रबंधन समिति से रूपये 30 हजार वसुल किये जाये ऐसा भी निर्णय हुआ था।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : इस विषय पर समय-समय पर बहुत चर्चा हुई हैं और हर बार इस संबंध में प्रस्ताव से उत्तर भी दिया गया हैं।

श्री. जुवाटकर (RRMD) : आप भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। यह अपराध नहीं हैं क्या ? ध्यान रहें महाराष्ट्र में जितनी भी सोसाइटीयाँ हैं उन सभी का रिपोर्ट होता है। परंतु आप को जब चेअरमन बनना था तब अपने एक दिन में ऑर्डर ले लिया। फिर 97वीं घटना संशोधन के अनुसार संस्था की नयी उपविधि के लिये आप ऑर्डर नहीं ले सकते थे ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : जुवाटकर, आप जान बुझकर सभा का समय व्यतित कर रहें हो। इसका उत्तर मैंने कल ही आपको दिया था। कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा है। कल ही मैंने आपको महाराष्ट्र सरकार का राजपत्र दिखाया था जो फरवरी, 2014 को प्रकाशित हुआ है। फरवरी 2014 का संशोधन विधानसभा ने मंजूर किया है। उसके बाद 13.08.2013 को उसमें संशोधन हुआ और यहीं वह महाराष्ट्र सरकार का अंतिम राजपत्र तथा अंतिम अध्यादेश है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वार्षिक आमसभा के बाद एक माह की अवधि में सरकारी लेखापरिक्षक की नियुक्ति कर उनकी अनुमतिपत्र के साथ सहकार विभाग को सूचित करना आवश्यक है। अपनी संस्था की वार्षिक आमसभा दिनांक 07.08.2013 को हुई है। उसके बाद विधानसभा द्वारा अधिनियम में कुछ संशोधन किये गये। यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद संस्था को प्राप्त हुई हैं। इन राजपत्रों में दिनांक 30.08.2013 को प्रबंधन समिति की बैठक में किये गये निर्णयों के अनुसार आमसभा का आयोजन किया गया और संकल्प किया गया कि संस्था की वार्षिक आमसभा के बाद एक माह के भीतर सरकारी लेखापरिक्षक की नियुक्ति करना है। इस पर चर्चा हुई और बहुमत से इस निर्णय को पारित किया गया।

श्री. यदुवीर सिंग : सहकार विभाग द्वारा की गयी नियुक्ति आपने नामंजूर क्यों की ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : आपने वार्षिक आमसभा में संकल्प न करने के कारण हमें लेखापरिक्षक श्री. वसंत कांबले का लेखापरिक्षक की नियुक्ति के लिये पत्र मिला। उससे पहले ही हमने दिनांक 30.08.2013 को वैधानिक लेखापरिक्षक की नियुक्ति की थी।

श्री. जुवाटकर : केवल यह बताईये कि आपने उस लेखापरिक्षक को क्यों अस्वीकार किया ? आपने श्री. वसंत कांबले को अस्वीकार कर और अपनी मर्जी के लेखापरिक्षक की नियुक्ति कर लेखापरिक्षण करवाया। एनपीसी सोसाइटी ने रूपये 85,000/- में लेखापरिक्षण किया और अब सरकार के आदेश के अनुसार रूपये 98,000/- में लेखापरिक्षण किया। क्यों बेवजह हमारा पैसा खर्च करते हो ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : जुवाटकरसाहब, कल मैंने आपको महाराष्ट्र सरकार का राजपत्र दिखाय है, फिर भी आप वहीं बात दोहरा रहे हो।

श्री. जुवाटकर : महाराष्ट्र सरकार ने जब यह जी.आर. निकाला तब महाराष्ट्र ने जो भी क्रेडिट सोसाइटीयाँ हैं उन्होंने पुणे जा कर उसे प्राप्त किया। यह प्रकाशित बाद में हुआ है। निर्वाचन जब तक नहीं होता तब तक सरकार ने आपके सभी अधिकार निकाल लिये है। आपकी वसंत कांबले को क्यों अस्वीकार करतें हो ? कल यदि सरकार ने सोसाइटी को ताला लगाया तो बी.ए.आर.सी. का नाम खराब हो जायेगा। इसका जिम्मेदार कौन ? आप आयुक्त के आदेशों का पालन क्यों नहीं करते ?

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : निर्वाचन प्रक्रिया में कुछ तकनीकी कठिनाईयाँ हैं। जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक आगे की कार्रवाई कैसी करोगे ? और इस विषय पर पिछली सभा में भी बहुत चर्चा हुई है। इसीलिये हमने समय न बितायें।

श्रीमती आम्रपाली मोरे : आपको श्री. वसंत कांबले का पत्र आया 26 जून को और ऑडिट रिपोर्ट 27 जून को, क्या हम इसे एकाएक हुई घटना समझे ? आप सदन को गुमराह न करें। सही जानकारी सदन को दें।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : दिनांक 26 जून, 2014 का आदेश संस्था को दिनांक 3 जुलाई, 2014 को प्राप्त हुआ।

श्री. जयवंत मकाजी (AFD) : कुछ हमारा भी सुनिये, कुछ चुने गये लोग एक ही बात

दोहरा रहें है। आप मुझे बताईये कि यह जो लेखापरिक्षक नियुक्त किया गसा हैं, उसे क्यों नियुक्त किया गया ? क्या यह नियम के बाहर है ? और अब जो यह घटना संशोधन आया है वह कब से ? और इसे कब लागू किया जायेगा ? उसके अंतर्गत यह सभा आयोजित की गयी है या पूर्व की उपविधि के अनुसार हो रही है ? यह बताईये। जो लेखापरिक्षक आपने नियुक्त किया है वह नयी उपविधि के अनुसार है या उल्लंघन किया है, बताईये। क्योंकि गुमराह बहुत लोग करते हैं। यदि उन्होंने वास्तव में आदेश का उल्लंघन किया है तो उसकी शिकायत निबंधक को करें। इसके लिये सभागृह का समय क्यों ले रहे हो ? यदि यह लेखापरिक्षक आया हो और उससे लेखापरिक्षण करवाना हो तो यह सभा स्थगित करनी होगी। क्या यह मंजूर है ? बताईये। पिछली सभा में हमने प्रबंधन समिति को जो अधिकार दिया उस अधिकार के अंतर्गत उन्होंने यह लेखापरिक्षक नियुक्त किया और लेखापरिक्षण पूरा किया। इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार हम जो लेखापरिक्षक नियुक्त करते हैं उसका नाम ऑडिट पैनल में होना चाहिये और यह ऑडिट पैनल ही हाईकोर्ट में अक्टूबर, 2013 में बरखास्त किया है। ठिक है क्या ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : सही है।

श्री. जयवंत मकाजी : अब यदि नया पैनल ही बनाया नहीं, ऐसे में उच्च न्यायालय में बरखास्त किये पैनल से आये हुए ऑडिटर को क्यों मंजूर करें/इस तकनीकी मुद्दों को ध्यान में से। अब यह ऐसे रहेगा तो कैसे मंजूर करें ? क्या हम कानून तोड़ रहे है ? हमारी संस्था के हितों को ठेंस ना पहुँचे और सदस्यों को लाभांश समय पर मिलता रहें, यही आशा हैं। 97वें घटना संशोधन के अनुसार हमारी संस्था की नयी उपविधि दिसम्बर, 2013 से लागू हैं। अब आगामी वर्ष के लिये लेखापरिक्षक की नियुक्ति के समय इस आमसभा की मंजूरी लें और उसके बाद यदि उन्होंने लेखापरिक्षक की नियुक्ति में कोई बदलाव किया तो हम उन पर आक्षेप करेंगे। गत उपविधि के अनुसार लेखापरिक्षक की नियुक्ति हुई है। हमें उसे मंजूरी देना चाहिये। श्री. जुवाटकर हमेशा

शिकायत ही करते रहते हैं, उन्हें वहीं एक काम है।

श्री. जुवाटकर : मुझे अधिकृत रूप में मंच से जवाब चाहिये।

श्री. जयवंत मकाजी : आपको मैं बताता हूँ, यह सब बातें सभी जानते हैं। अब गणेश उत्सव नजदीक है। सदस्यों को लाभांश समय पर मिलना चाहिये।

श्रीमती आम्रपाली मोरे : यदि लाभांश का विषय है तो यह सभा क्यों बुलायी हैं ? सभी को लाभांश दीजिये और मुक्त करें। सभा की क्या आवश्यकता हैं ?

श्री. ए.पी. चौधरी (RRMD) : बड़े आँकड़ों को देखकर सभी को यह भ्रम हो जात है कि हमारी सोसाइटी बड़ी हो रही है। अब गणेश उत्सव आयेगा, उसके बाद दिपावली आयेगी, यह हर वर्ष आते जाते रहेंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि डिविडंड पर ही हमारे घर संसार चलते हैं। 12% लाभांश से क्या फर्क पड़ेगा ? बड़ी बड़ी कठिनाईयाँ हैं। एक साल 5.5% लाभांश दिया गया तब क्या हम भूखे मरे थे ? फिर यह क्या है ? संस्था का लेखापरिक्षण बहुत महत्त्वपूर्ण होता है।

श्री. फडोल : हमारी संस्था की रिपोर्ट को देखकर बताईये कि हमारी संस्था को कितने वर्ष हुये हैं ? इसमें क्या कभी प्रबंधन समिति ने वैधानिक लेखापरिक्षक की नियुक्ति की है ? ऐसी कोई एक-आध घटना तो बताईये ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : महाराष्ट्र सरकार के जी.आर. के अनुसार वैधानिक लेखापरिक्षक की नियुक्ति का संपूर्ण अधिकार प्रबंधन समिति को है। प्रबंधन समिति ने सभी काम उपविधि के अनुसार किये हैं। उसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : पिछली सभा में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई थी। बार-बार वहीं विषय लेकर सभा का समय व्यतित न करें। यह विषय यही पर समाप्त किया जाना चाहिये। सभी अधिकार निबंधक के पास हैं। हमारे पास नहीं हैं।

यदि प्रबंधन समिति से कोई गलत काम किया हो तो निबंधक द्वारा उन पर कार्रवाई की जायेगी। अब इस विषय पर कोई चर्चा न करें।

श्री. फडोल : रजिस्ट्रार की ऑर्डर पढ़कर सुनाईये। यदि आपको रजिस्ट्रार के आदेश को न मान कर सब कुछ करना हो तो वह गलत है।

श्री. गणेश जाधव (TMS) : साहब, आपने कहा है कि पिछली सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी। इसी सभागृह में श्री. कासट को अस्वीकार किया गया था। मेरी जानकारी के अनुसार मैं तीस आमसभा में उपस्थित रह चुका हूँ। श्री. कासट के नाम से इस सभागृह ने आधा घंटा लिया है। इतने सारे विरोध के बाद भी प्रबंधन समिति ने इनकी नियुक्ति क्यों की इसका खुलासा करें। बेलोकर साहब, आपने आरंभ में कहा कि यहाँ सीसीटीवी लगे हुये हैं। कैमरे हैं, परंतु यह सब BARC डायरेक्टर/चेअरमैन की केबीन में रखिये, तब हमारा समाधान होगा और उन्हें भी समझेगा कि हम यहाँ बैठे है ये गुनाहगार के रूप में नहीं हैं।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : जाधव साहब, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी संस्था में बहुत बार ऑडिटर आ चुके है। जब हमने नयी कम्प्यूटर प्रणाली आरंभ की उस समय भी हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उस समय ऑडिटर कासट ने हमें बहुत सहायता की थी। उनके अनुभवों का हमें भी लाभ मिला है। संस्था का कही भी नुकसान नहीं हुआ है। यदि ऐसे व्यक्ति से काम कर लिया तो उसमें कुछ गलत नहीं हैं, यहाँ मेरा मानना है।

श्री. फडोल : आप रजिस्ट्रार का पत्र क्यों नहीं पढ़ रहे हो ? वह पढ़कर बतायें।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने रजिस्ट्रार का पत्र पढ़कर सुनाया।

श्री. फडोल : आपने रूपये 8 लाख तथा ऋण सीमा बढ़ाने के लिये विशेष आमसभा आयोजित की जो फिर इस विषय के लिये आमसभा क्यों नहीं बुलायी ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : जो ऑडिटर पैनल था वह हाईकोर्ट के आदेश द्वारा रद्द किया गया। हमने आमसभा आयोजित कर ऑडिटर की नियुक्ति की होती, लेकिन अब पैनल ही रद्द हुआ हो तब किस की नियुक्ति करें यह मुद्दा था।

श्री. फडोल : आपने 97वें घटना संशोधन से संबंधित सभी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 97वें घटना संशोधन का महत्त्व आप जानते हो। उसमें वैधानिक लेखापरिक्षण यह विषय आमसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। अर्थात जो अधिकार निबंधक के पास था वह अधिकार अब 97वे घटना संशोधन के कारण आमसभा को प्राप्त हुआ है।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : 2010 में सरकार ने जो पत्र जारी किया है उसमें वैधानिक लेखापरिक्षक की नियुक्ति का अधिकार किसे दिया गया हैं, इसका उल्लेख किया गया है।

श्री. यदुवीर सिंग (TSD) : कोली साहब, आपने रजिस्ट्रार को इतनी बड़ी फाइल सौंपी है। उसमें यह सारी बातें कही हैं। फिर भी आप कहते हो कि सब कुछ ठीक है। आपके द्वारा गलत काम कर लिया जा रहा है। यहीं सच है।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : मैं गलत काम नहीं करता, ना ही करूँगा।

श्री. श्रीधरन (CDM) : अभी तक बहुत चर्चा हुई है। अब उसका कोई लाभ नहीं है। अब केवल दो विकल्प है - पहला विकल्प : जो निर्णय लिया गया है उसे सभागृह मंजूर करें या नामंजूर करें। दूसरा विकल्प : वसंत कांबले एण्ड कंपनी के द्वारा फिर एक बार ऑडिट किया जायेगा। इन दो विकल्पों से किसी एक का चयन करना चाहिये और यह सभा समाप्त करना चाहिये। नहीं तो यह सब ऐसे ही जारी रहेगा। इसीलिये अधिक समय न लेते हुए निर्णय लेना चाहिये।

श्री. कुशवाह : श्रीधरन पहले से ही तैयार हो कर आये हैं। प्रबंधन समिति ने पहले ऑडिट किया और अब उसे वे मंजूरी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मंजूरी लेकर ही ऑडिट

करना था। यह बहुत गलत हो रहा है। श्री. श्रीधरन के वक्तव्य की प्रविष्टी कार्यवृत्त में होनी चाहिये। इस विषय पर मैं निबंधक को पत्र लिखूँगा। इस विषय के लिये आपने विशेष आमसभा का आयोजन क्यों नहीं किया ? इस महत्त्वपूर्ण विषय को क्यों टाला गया ? मुझे सभा के अध्यक्ष का उत्तर चाहिये। आपकी ओर से नहीं।

श्री. श्रीधरन : 97वें घटना संशोधन के बाद तथा 97वें घटना संशोधन के पहले इन दो दौरान एक कालावधी है। इस अवधी के दौरान कुछ अधिकार प्रबंधन समिति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए लेखापरिक्षक की नियुक्ति की तथा यह सभा आयोजित करने का प्रयास किया। अतः मेरी सूचना के अनुसार दो विकल्पों पर विचार करें।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : अभी तक इस मुद्दे पर बहुत चर्चा हुई है। इसीलिये अब यह चर्चा समाप्त करें तथा इस पर निर्णय लेते हुए सभा को आगे जारी रखें। जिन्हें इस विषय की चर्चा यहीं पर समाप्त करनी हैं वे कृपया अपना हाथ ऊँचा करें तथा इस विषय को यही पर समाप्त करें।

श्री. प्रवीण सावंत (CDM) : लेखापरिक्षक की नियुक्ति उच्च न्यायालय ने रद्द की इस संबंध में आपने रजिस्ट्रार को जो पत्र लिखा था उसका क्या कोई जवाब आया है ?

श्री. ए.पी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने जो सूचना दी कि एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति अपना मत व्यक्त करें, परंतु यहाँ तो एक ही समय 3-4 व्यक्ति एकसाथ बोल रहें हैं। इसका क्या मतलब ? कासट के संबंध में कोई जवाब नहीं मिला है। प्रबंधन समिति पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। आपने निबंध के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : हमने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने आपसे कहा था कि पैनल रद्द हो जाने की वजह से हमने विशेष आमसभा का आयोजन नहीं किया और प्रबंधन समिति को जो अधिकार हैं उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए समय पर लेखापरिक्षण पूरा करने के लिये हमने लेखापरिक्षक की नियुक्ति की हैं। इसमें गलत क्या है ? आप संस्था के कार्यालय में आईये आपको सभी पत्राचार दिखाया जायेगा।

श्री. चौधरी : इस संबंध में यदि कोई कार्रवाई होगी तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, दूसरा कोई नहीं।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : ठीक है। मैं सचिव होने के नाते स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री. प्रकाश पाटील (SIRD) : अध्यक्ष महोदय, अब लगभग एक घंटे से इस विषय पर चर्चा हो रही है। प्रबंधन समिति ने रजिस्ट्रार के साथ पत्राचार किया और संस्था कामकाज के संबंध में जो उचित था उसके अनुसार लेखापरिक्षक की नियुक्ति की तथा लेखापरिक्षण कर इस सभा का आयोजन किया है और भी बहुत से मुद्दों पर चर्चा होनी बाकी है और उसके लिये हमारे पास अधिक समय नहीं हैं। इसीलिये यह सभा निर्धारित समय में समाप्त करने के लिये जल्द से जल्द निर्णय करना आवश्यक हैं। सदस्यों को अब लाभांश चाहिये।

श्री. जुवाटकर : आंतरिक लेखा परिक्षकों द्वारा रिपोर्ट दिया गया है। सदस्यों को डिविडंड मिलेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। हम वैधानिक लेखापरिक्षक के संबंध में चर्चा कर रहे है। प्रबंधन समिति ने यह मान लेना चाहिये कि यदि कोई कार्रवाई हुई तो संस्था का पैसा खर्च न किया जायें। उन्हें स्वयं अपना पैसा खर्च करना होगा।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : यह आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। हम संस्था का पैसा गलत कार्यों के लिये खर्च नहीं करेंगे।

श्री. जुवाटकर : आप ऐसा नहीं करते। सरकार ने बताया कि चेअरमैन श्री. मडगांवकर है, तब आपने श्री. पाटील को चेअरमैन बनाने के लिये जनता के रूपये 80,000/- खर्च कर उच्च न्यायालय से स्टेटोस्को लगाया है।

श्री. कृष्णाजी बिलासकर (DPS) : अध्यक्ष महोदय, लगभग डेढ घंटे से यह शोर जारी है। इस मुद्दे के लिये श्री. श्रीधरन ने दो विकल्प सुझायें है, इस संबंध में मुझे कहना है।

सचिव ने जो उत्तर दिया वह सही है क्योंकि जिस अवधि में उन्होंने लेखापरिक्षक की नियुक्ति की वह मेरे मतानुसार नियमों के अंतर्गत है। दूसरी बात, उन्होंने 3.10.2013 को जिस लेखापरिक्षक की नियुक्ति की है, उसकी नियुक्ति की जा रही है इसकी सूचना निबंधक को पत्र द्वारा दी गयी। ऐसे में, यदि निबंधक को यह मंजूर नहीं था तो उन्होंने दो माह के भीतर पत्र में उत्तर देना था कि यह नियुक्ति नियम बाह्य है। परंतु उन्होंने एक वर्ष के बाद उत्तर दिया है। मतलब, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। इसीलिये प्रबंधन समिति द्वारा की गयी नियुक्ति नियमों के अनुसार है, ऐसा मेरा मानना है।

श्री. राजेश कलके (CDM) : हर बार श्री. कोली कहते है कि सोसाइटी कार्यालय में आइये और जब जाते है तब श्री. कोली गुस्सा से आग बबुला होते है। ऐसा मेरा अनुभव है।

श्री. प्रभात सिंग (CDM) : हम यहाँ व्यक्तिगत विषयों पर चर्चा करने नहीं आये है।

चेअरमन श्री. शिवाजी पाटील : हमें विषय सूची के अनुसार जाना होगा। यह ऐसे ही चलता रहा तो सभा समाप्त नहीं होगी।

श्री फडोल : यदि आप कहते हो कि अगस्त में आपको कोई जवाब प्राप्त हुआ है तब उसके बाद आपने यह सब किया। परंतु इतनी बड़ी बात के लिये विशेष आमसभा क्यों नहीं बुलायी ?

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : प्रबंधन समिति द्वारा यदि कोई गलतियाँ हुई हो तो हम उन्हें सुधार करे, आईये, हम आगे बढ़ते है।

श्री. श्रीधरन (CDM) : मेरे पहले वक्तव्य के अनुसार आप किसी एक विकल्प पर निर्णय लीजिये और कांबले एण्ड कं. के द्वारा लेखापरिक्षण कर लेते है और यह सभा बरखास्त करते है। कुछ निर्णय तो लेना चाहिये।

श्री. यदुवीर सिंग : मैं सहमत है।

श्री. ए.पी. चौधरी : वह कुछ नहीं। उनके पैसे कौन देगा। एक काम के लिये दो बार पैसे क्यों देंगे ?

चेअरमन श्री. शिवाजी पाटील : आपको यदि कुछ भी सुनना नहीं तो सभा कैसे चलाये ? किसे मंजुरी देनी वह सुनिश्चित कीजिये और प्रस्तावक तथा अनुमोदक के नाम दीजिये।

श्री. डोलस : आपको बताया है कि फिर लेखापरिक्षण कीजिये। तब आपको क्या कठिनाई है ?

श्री. माने : दूसरे लेखापरिक्षक का शुल्क कौन देगा? आप देंगे क्या? दोबारा लेखापरिक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री. जुवाटकर : यह शुल्क प्रबंधन समिति देगी।

श्री. माने : इस बार यह लेखापरिक्षण हमें मंजूर है। हमें और एक बार पैसे नहीं देने है। आपको दोबारा लेखापरिक्षण करना हो तो पैसे आपको देने होंगे और यदि कोई त्रुटी पायी जाती है तो प्रबंधन समिति का दोष मान कर उन पर कार्रवाई करें।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : आप सभी को कहता हूँ कि यदि आपको ऐसा लगता है कि प्रबंधन समिति गलती कर रही है और निबंधक की दृष्टि में कुछ गलतियाँ आयी है तो ये उन पर कार्रवाई करेंगे। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। सभा की कार्यवाही आगे बढ़ानी है या नहीं अगर सभा बरखास्त करनी हो तो ऐसा बताईये। लेकिन कुछ तो निर्णय लीजिये। बेवजह समय बर्बाद न करें। प्रबंधन समिति से यदि गलती हुई हो तो उसमें सुधार करना है या नहीं, यह बताईयें।

श्री. जुवाटकर : आदेश और निर्देशों को कोर्ट में अपील किया जाता है। उन्हें यदि यह समझ ही नहीं आता है, तो इन्होंने प्रशिक्षण कौनसा लिया है ? वार्षिक रिपोर्ट में केवल फोटो छपवायें है।

श्री. कलके : प्रशिक्षण लेने के लिये संस्था का इतना पैसा खर्च किया फिर भी इनकी समझ में नहीं आता।

पदेन उपाध्यक्ष श्री. अलेक्स साहब : गत आमसभा में विषयसूची के विषयों में श्री. जुवाटकर इनकी सदस्यता करने के संबंध में, आंतरिक लेखापरिक्षक के संबंध में विषय रखे थे। लेकिन हम सभी ने श्री. जुवाटकर और आंतरिक लेखापरिक्षक इन्हीं विषयों पर चर्चा की है। हमने 97वें घटना संशोधन के अनुसार वैधानिक लेखापरिक्षक के विषय पर चर्चा ही नहीं की है। इसके लिये हम सभी जिम्मेदार है। केवल प्रबंधन समिति को जिम्मेदार नहीं मान सकते। इस विषय पर ध्यान देने की जिम्मेदारी सभागृह की भी थी। परंतु इस विषय की ओर किसी का भी ध्यान गया नहीं। इसीलिये प्रबंधन समिति ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया और सितम्बर, 2013 को लिखित रूप में पत्र देकर निबंधक को सूचित किया गया। उसके बाद जून, 2014 को निबंधक से मिला पत्र मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। (पत्र पढ़कर सुनाया गया) अब जो गलती हुई है उसे मानना है या नहीं। यदि नहीं मानना है तो यह सभा बरखास्त कीजिये। यह हम सभी की गलती है कि 97वें घटना संशोधन के अनुसार वैधानिक लेखा परिक्षक का चयन वार्षिक आमसभा में करना आवश्यक था फिर भी उक्त विषय पर ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिये हम सभी जिम्मेदार है।

श्री. जुवाटकर : उपाध्यक्ष महोदय, आप आदेश तथा निर्देश पर कोई टिप्पणी न करें, ये IPS अधिकारी है उनकी गलतियाँ न निकालें।

पदेन उपाध्यक्ष श्री. अलेक्स साहब : हमारे यहाँ सभी को सब कुछ जानकारी है, फिर भी समय व्यतित कर रहें हो। मैंने केवल यहीं कहा है कि हमें मंजूरी देनी है या नहीं। हमारे यहाँ प्रबंधन समिति का निर्वाचन न होने के कारण यह कठिनाई आयी है। अन्य राज्यों में इलेक्शन्स हुई है, केवल महाराष्ट्र में बाकी है। इसीलिये यह विवाद शुरू हुआ है, मैं पुनः कहता हूँ कि यह मंजूर करना है या नहीं।

श्री. अशोक महाले (ROD) : मेरी एक बिनती है। इस विषय पर बहुत चर्चा हुई है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि अपने सचिव सक्षम है भी या नहीं। आपसे यदि कुछ गलतियाँ हुई भी हो तो आपको कुछ फांसी हो नहीं देंगे। लेकिन आप गलती मानते ही नहीं। यदि दिक्कत है। मेरा मानना है कि सभा आपको साथ देगी लेकिन आपको बताना होगा की वास्तव में हुआ क्या है ?

श्री. श्रीधरन (CDM) : उपाध्यक्ष महोदय ने एक प्रस्ताव सामने रखा है कि यह जो प्रक्रिया हुई है, इसमें सोसाइटी की कुछ हानि नहीं हुई है। इसीलिये इस विषय को मंजूर करें, यह मेरा मानना है।

श्री. फडोल (HWP) : मैं प्रबंधन समिति के सदस्य श्री. मडगांवकर से अब केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये बताईये कि क्या आपको रजिस्ट्रार की ओर से कोई भी पत्राचार नहीं हुआ है ? आप कहते हो कि 10 माह बाद आपको जवाब प्राप्त हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसी नहीं हुआ है। आपको तुरंत जवाब प्राप्त हुआ था। परंतु आपको विशेष आमसभा का आयोजन करना था इसीलिये आपने वह किया नहीं। हर बार उन्होंने गलतियाँ की है।

श्री. उमेश गायकवाड : राजेंद्र मडगांवकर को बोलने की अनुमति प्रदान करें। उनके पास उत्तर है, उन्हें बोलने का अवसर दें। सारी सच्चाई सामने आयेगी।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : आप मुझे सुनते ही नहीं। एक तरफ कहते हो कि सचिव सक्षम नहीं। मुझे अगर बोलने ही नहीं दिया तो मैं उत्तर कैसे दूँगा ? आप प्रश्न तो पूछते हो और उत्तर सुनते ही नहीं। आपको सभागृह को केवल यहीं दिखाना है कि केवल आप ही प्रश्न उठाते हो। प्रश्नों के उत्तरों से आपको कोई लेना देना है ही नहीं।

श्री. उमेश गायकवाड : सभा के सामने सच्चाई आने दीजिये। श्री. राजेंद्र मडगांवकर को बोलने का अवसर दें। सभागृह की यहीं माँग हैं।

संचालक सदस्य श्री. राजेंद्र मडगांवकर : सभागृह से अनुरोध करता हूँ कि अध्यक्ष महोदय से जो बात हुई उसके अनुसार वार्षिक आमसभा द्वारा नियुक्त किये गये लेखापरिक्षकों के रिपोर्ट को मंजुरी देते हुए हम सदस्यों को लाभांश दे सकते हैं। जिस विषय पर चर्चा जारी है वह विवादपूर्ण है। इसीलिये यह विषय समाप्त करें। लेखापरिक्षक कासट को किसी भी तरह का पेमेंट न किया जाये। यदि ऐसा किया तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिन्होंने गलती की है उनकी ही होगी।

श्री. उमेश गायकवाड : मैं गत 4-5 वर्षों से देख रहा हूँ कि श्री. मडगांवकर को सभा में बोलने नहीं दिया जाता। क्या प्रबंधन समिति के सदस्य को सभा में बोलने का अधिकार नहीं है ?

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : निबंधक ने यदि मंजुरी प्रदान की तो मंजूर होगा अथवा नामंजूर। निबंधक सबसे ऊपर है। हमारा वैधानिक लेखापरिक्षण हो चुका है। आप फिर वही लेखापरिक्षण श्री. वसंत कांबले से कैसे करेंगे ? यदि निबंधक ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोबारा कीजिये तब हम निबंधक के आदेश से दोबारा वैयक्तिक लेखापरिक्षण करेंगे और प्रबंधक समिति को जिम्मेदार मानेंगे।

श्री. जयवंत मकाजी : अध्यक्ष महोदय, हमें नियमानुसार सभा जारी रखना चाहिये। कोई भी उठेगा और कहेगा कि उसे बोलने दें या इसे बोलने दें, किसी को भी बोलने की अनुमति न दें। श्री. मडगांवकर चेअरमैन थे तब उन्होंने स्वयं के फोटो छपवाकर परचे छापे थें। प्रबंधन समिति की क्या इज्जत रखी? प्रबंधन समिति बीएआरसी के कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित किया गया है। संस्था के नियमों के अनुसार सभा जारी रखें।

श्री. उमेश गायकवाड : श्री. मडगांवकर को बोलने का अवसर दीजिये।

श्री. जयवंत मकाजी : अगर सदन में आम बैठक को निदेशक मंडल की ओर से जवाब सचिव तथा अध्यक्ष देने की आज की परंपरा है। इस परंपराओं को न तोडे। यहाँ कोई भी अपने समर्थकों को बुलायेगा यह ठीक नहीं है। उन्हें अगर कुछ बोलना हैं तो मंच से

नीचे आये और बोले।

चर्चा के उपरांत विषय क्र. 2 पारित किया गया और तदनुसार संकल्प पारित किया गया।

<u>संकल्प</u> : संकल्प पारित किया जाता है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 इस कालावधी का वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरिक्षित तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा स्वीकार करते हुए उसे सभी की संमति से मंजुरी देते हुए संकल्प पारित किया गया।

सुझाव : श्री. प्रवीण सावंत (सीडीएम)

अनुमोदन : श्री. एस.टी. कांबले (एफआरडी)

सभी की संमति से संकल्प पारित किया गया।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने विषयसूची से विषय क्र.सं. 3 सदस्यों को पढ़कर सुनाया।

<u>विषय क्र. सं. 3 : प्रबंधन समिति से प्रस्तावित लाभांश वितरण और वर्ष 2014-15 के बजट को मंजुरी प्रदान करना।</u>

चर्चा के उपरांत विषय क्र. सं. 3 को पारित किया गया तथा निम्नानुसार संकल्प पारित किया गया।

<u>संकल्प</u> : संकल्प किया जाता है कि प्रबंधन समिति के प्रस्तावित लाभांश वितरण तथा वर्ष 2014-15 के बजट को एकमत से मंजुरी प्रदान कर संकल्प किया गया।

सुझाव : श्री. विनय शर्मा (सीडीएम)

अनुमोदन : श्री. संतोष कांबले (एचपीडी)

संकल्प एकमत से पारित किया गया।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने विषयसूची से विषय क्र. सं. 4 सदस्यों को पढ़कर सुनाया।

<u>विषय क्र. सं. 4 : प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त किये गये वर्ष 2013-14 के वैधानिक लेखापरिक्षक को स्थायी करने के संबंध में मंजुरी प्रदान करना।</u>

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : पिछले विषय के दौरान इस विषय के संबंध में काफी चर्चा हुई है। अतः प्रबंधन समिति में यह निर्णय लिया है कि श्री. कासट ने जो वैधानिक लेखापरिक्षण किया है, उसका शुल्क उन्हें अभी तत्काल नहीं दिया जायेगा। निबंधक की ओर से जो भी निर्देश आयेंगे उसीके अनुसार उनकी शुल्क दी जायेगी। तब तक इस विषय को स्थगित किया जाता है।

एक सदस्य : यदि पुनः लेखापरिक्षण किया जाये तो कठिनाई क्या है ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : यह सारी प्रक्रिया दिनांक 30 सितम्बर तक पूरी हो जानी चाहिये। 97वें घटना संशोधन के अनुसार वार्षिक आमसभा को एक्सटेंशन नहीं दिया जाता। श्री. कासट की नियुक्ति नियमानुसार की गयी है। रजिस्ट्रार के साथ पत्राचार भी किया गया है। उनसे कोई जवाब प्राप्त होने तक हम लेखापरिक्षण शुल्क उन्हें नहीं दिया जायेगा, ऐसा निर्णय हम कर सकते है। लेकिन उसे भी सीमाएँ है। लेखापरिक्षक को लेखापरिक्षण शुल्क देने से कितने माह तक रोक सकते हैं, इसके लिये भी एक समय सीमा है। दो माह तक यदि निबंधक से कोई जवाब नहीं आता है तब निबंधक को लिखा गया पत्र उन्हें मंजूर है ऐसा माना जायेगा। अतः सभागृह से अनुरोध है कि आप अवधी, समय निर्धारित करें ताकि तब तक लेखापरिक्षक यदि कोर्ट में जाता हैं तो संस्था को खर्च न हो।

श्री. प्रशात वरळीकर (टीएमएस) : मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक बार हमने यह तय किया कि लेखापरिक्षण का शुल्क अब देना नहीं। हमारे पास कालावधी है। निबंधक के निर्देशों के अनुसार शुल्क दी जायेगी, इस सुवर्णमध्य पर हम आये है, ऐसे

में फिर वहीं मुद्दे पर चर्चा न हो। मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि अगले विषय पर चर्चा करें।

यदुवीर सिंग : 30 सितम्बर तक निबंधक की ओर से यदि कोई उत्तर नहीं आया तो श्री. कासट इन्हें शुल्क दिया जाये। और क्या चाहिये ? यह सभी को मंजूर है।

चर्चा के उपरांत विषय क्र.सं. 4 पारित किया गया और तदनुसार संकल्प पारित किया गया।

<u>संकल्प</u> : संकल्प पारित किया जाता है कि प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त किये गये वर्ष 2013-14 के वैधानिक लेखापरिक्षक को वार्षिक आमसभा मंजुरी प्रदान करती है। उक्त मुद्दा मा. सहकार आयुक्त कार्यालय को सूचित किया जाये और उसके बाद मा. सहकार आयुक्त के कार्यालय की ओर दिनांक 30 सितम्बर, 2014 तक यदि जवाब नहीं आया तो वैधानिक लेखापरिक्षकों का लेखापरिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाये। यह संकल्प आमसभा में बहुमत से मंजूर किया।

सुझाव : श्री. ए. श्रीधरन (सीडीएम)
अनुमोदन : श्री. प्रभातसिंग (सीडीएम)

संकल्प बहुमत से मंजूर किया गया।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने विषयसूची से विषय क्र. सं. 5 सदस्यों को पढ़कर सुनाया।

<u>विषय क्र.सं. 5 : वैधानिक लेखापरिक्षक तथा आंतरिक लेखापरिक्षक इनकी वर्ष 2013-2015 इस आर्थिक वर्ष के लेखापरिक्षण रिपोर्ट की प्रविष्टि करना।</u>

श्री. फडोल : पृष्ठ संख्या 24 पर मेंबर वेलफेअर फंड की गत वर्ष की राशि रूपये 539 लाख है, पृष्ठ संख्या 32 और 35 पर आपने 50 लाख का प्रावधान किया हुआ है। परंतु

पिछली राशि में यह रकम को मिलाकर दिखाना चाहिये, यह कितना उचित होगा, यह बताईये।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : आर्थिक वर्ष में जो खर्च हुआ है, उसे घटाकर इस खाते में दर्शाया गया है।

श्री. फडोल : आपने आपके बैलन्सशीट में कहाँ दर्शाया है और प्रॉफिट ॲण्ड लॉस अकाऊंट में कहाँ दर्शाया है ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : जो खर्च हुआ है, वह आर्थिक वर्ष में किया गया खर्च है, वह यहाँ कैसे आयेगा। आपको यदि सारी जानकारी चाहिये तो सोसाइटी कार्यालय में आईये। आपके सभी सवालों के जवाब दिये जायेंगे। गत वर्ष की शेष राशि रूपये 5,39,32,267/- में इस वर्ष के रूपये 50 लाख का प्रावधान जोड़ने पर जो राशि आयी है यह रूपये 5,89,32,267/- में जो अंतर है यह खर्च राशि है। ओपनिंग बैलन्स रूपये 5,39,32,667/- इसमें 50 लाख रूपये का प्रावधान किया और उसमें खर्च रूपये 5,74,719/- ऐसे कुल मिलाकर रूपये 5,87,57,548/- यह रकम आयी है।

श्री. चौधरी : कोली साहब, आप यह जो राशि बता रहे हो, वह एक्सपेंडिचर हेड के लिये कहाँ दर्शायी है यह बताईये और प्रॉफिट ॲण्ड लॉस में कहाँ है, यह भी बताईये।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : ये सब इफेक्ट जनरल लेइजर में है। आप तुलन पत्र की खाती और लाभ-हानी पत्र की खाती की जानकारी कर ले लीजिये।

श्री. चौधरी : कोली साहब, आप जी.एल. सब को दिखाने वाले हो क्या ? हर बात जी.एल. में न रखें। यह गलत पद्धती है।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : संस्था का तुलनपत्र सी.ए./आंतरिक लेखापरिक्षक ने जाँच कर मंजूर किया है। वैधानिक लेखापरिक्षकों ने लेखापरिक्षण किया है।

श्री. दिनेश माने (ट्रान्सपोर्ट) : कब से मैं देख रहा हूँ, यहाँ दो गुट है और प्रबंधन समिति बीच में है। कुछ लोग कहते हैं कि मडगांवकर को बोलने दीजिये। यहाँ यदि कुद भ्रष्टाचार हुआ है तो ये अब तक क्यों प्रबंधक पदों पर रहे हैं ? उन्होंने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया ? भ्रष्टाचार यदि हुआ है तो वह बाहर आना चाहिये। आप इसका जवाब ठीक से नहीं दे सकते क्योंकि आप सी.ए. नहीं है। इसीलिये आमसभा में सी.ए. को बुलाना चाहिये। तभी सारे प्रश्नों के उत्तर ठीक से मिल जायेंगे और आधी अधुरी जानकारी देनेवालों के मुँह बंद हो जायेंगे।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : आपका विचार योग्य है। हम आगामी सभा में सी.ए. को यहाँ उपस्थित करेंगे ताकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर उचित रूप से दिये जायेंगे।

चेअरमैन श्री. शिवाजी पाटील : आपको सभी बातों की जानकारी देने के लिये हम यहाँ एकत्रित हुए है। लेकिन आप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो, तब क्या करें ?

श्री. फडोल : यह जो फर्क है उसे आप मंजूर करने के लिये कह रहे हो।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : आप सदन को गुमराह मत करना। वह फर्क नहीं हैं, वह खर्च है। तुलनपत्र के सभासद भविष्य निधि में डेबिट या क्रेडिट होगा। यहीं तो आपके समझ में नहीं आ रहा है।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : यह देखिये। हम इस बात के जानकार नहीं है। आप अपने काम मे एक्सपर्ट/जानकार हो। इसीलिये तो सरकार ने सी.ए./ऑडिटर/ वैधानिक लेखापरिक्षक की नियुक्ति की है। यह काम यदि हमने किया होता तब सी.ए. की क्या आवश्यकता रहती ? इसीलिये यह समझ ले। हमारा रिपोर्ट (तुलनपत्र) दो सी.ए. के द्वारा लेखापरिक्षण कर तैयार किया है। इसीलिये इस पर संदेह करना उचित नहीं है। फिर भी हम अगली बार सी.ए. को आमंत्रित करेंगे। ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जायेंगे।

श्री. फडोल : मैं अकाऊंटस् एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन श्री. प्रदीप पाटील अकाऊंटस् के एक्सपर्ट है। उन्होंने बताना चाहिये यह प्रॉफिट ॲण्ड लॉस में आना चाहिये या नहीं ? हाँ या नहीं।

श्री. प्रदीप पाटील : हम तुलनपत्र जिस पद्धति से बनाते है तब सदस्य कल्याण निधि का प्रावधान करते है। वैसे ही यहाँ है। फिर आप यह बात क्यों दोहरा रहें हो ? खर्च हुआ है, यह एक्सपेंडिचर में दर्शाया है और किये जानेवाला खर्च प्रावधानों में है। इसमें न समझ आनेवाली बात क्या है ? सचिव जो कह रहे है उसे समझ लें।

श्री. प्रशांत वरलीकर : कृपया यहाँ थोड़ा ध्यान दें। उन्होंने क्या पूछा वह पहले समझ लें। उसे यदि ठीक से नहीं सुना तो दिक्कत होगी। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि वह राशि यहाँ दर्शायी नहीं गयी है। वह राशि बड़ी है। वह जी.एल. में है। यह ठीक है। लेकिन उन्हें विस्तार से समझना चाहिये। इसीलिये हम वार्षिक आमसभा की सूचना में एक टिप्पणी लिखते हैं कि जिन्हें प्रश्न पूछना है ये लिखित रूप में पूछे। श्री. बेलोकर साहब ने बताया कि यहाँ सी.ए. की उपस्थिति आवश्यक है, यह भी ठीक है। यह सुवर्णमध्य है। इसीलिये उसे बार-बार दोहराना ठीक नहीं होगा। हमें यह सभा समय पर समाप्त करनी है। कृपया अब यह विषय समाप्त कर अगला विषय चर्चा के लिये लेना चाहिये।

श्री. फडोल : आप बैलन्सशीट की ऐसी एक सूची तैयार कर क्यों नहीं बनाते ? यदि ऐसा किया होता तो यह प्रश्न ही नहीं उठाये जाते ? आपने इन सारी बातों को अनुशासित किया होता, ऐसा आप नहीं करते।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : अनुशासन हर एक में स्वयं को लगाना चाहिये। अब अधिक समय व्यतित न करें।

श्री. फडोल : अजेंडा नं. 8 का रिपोर्ट भी हमें नहीं दिया गया है और कहते हो कि प्रश्न लिखित रूप में थ। लिखित रूप में कैसे दे सकते है ? आपने त्रुटी निवारण रिपोर्ट हमें दिया ही नहीं।

श्री. राजापुरे : मैंने लाभ-हानि लेखा के संबंध में पत्र दिया है। उसमें कुल 9 प्रश्न है। उस सभी का उत्तर देना चाहिये।

श्री. यदुवीर सिंग : पृष्ठ संख्या 20 पर संड्री क्रेडिटर्स की रकम गत वर्ष रूपये 1,00,27,431/- थी। इस वर्ष यह राशि रूपये 1,39,43,593/- है। श्री. मडगांवकर चेअरमैन थे तब उन्होंने जिनके पैसे थे उन्हें लौटाये थे। लेकिन अभी भी काफी लोगों के बाकी है। उस राशि में वृद्धि क्यों हो रही है, इसका जवाब दें।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : यह संड्री क्रेडिटर्स की राशि रूपये 1,39,43,593/- आप जो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसकी ओपनिंग बैलन्स रूपये 98,10,468/- है, उसमें इस आर्थिक वर्ष में देय नयी राशि रूपये 4,44,26,761/- मिलायी है। उसमें से रूपये 3,65,10,599/- सदस्यों को वितरित किये है। उसमें से हमारे पास रूपये 1,37,26,630/- शेष है। यह 31 मार्च, 2014 की स्थिति है।

श्री. राजापुरे इनके पत्र का प्रश्न क्र. सं. 1 पढ़कर सुनाया और उसका उत्तर देते हुए कहा कि, 26 करोड़ का जो टर्नओवर कहा गया है, परंतु आपने रूपये 1,31,000/- लिखा है। इन्कम टैक्स के संदर्भ में Hearing & Appeal के लिये किया गया प्रोफेशनल शुल्क का यह खर्च है। संस्था को वर्ष 2010 के लिये रूपये 2,62,00,000/- का इन्कम टैक्स भरने के संबंध में नोटिस आयी थी। इस संदर्भ में वैधानिक खर्च, शुल्क और प्रोफेशनल शुल्क ऐसे 3 शीर्ष किये गये है। इन राशियों का टर्नओवर से कोई संबंध नहीं है।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : प्रश्न क्र. सं. 2 पढ़कर सुनाया है। कर्मचारियों के वेतन में 16% से वृद्धि हुई है और एक्सग्रेशिया के लिये 15% का प्रावधान किया गया है।

श्री. राजापुरे : वेतन में 16% से वृद्धि होती है तब एक्सग्रेशिया ऐसे कैसे बढ़ा है ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : यह देय राशि है। अब तक भुगतान नहीं किया गया है। उसका प्रावधान किया गया है। वेतन की ग्रेड के अनुसार इसका प्रावधान किया गया है।

श्री. राजापुरे : नहीं। वेतन के अनुसार प्रावधान नहीं किया है। वेतन 12 लाख से तो एक्सग्रेशिया 5 लाख से बढ़ा है।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : हमने एक्सग्रेशिया जो दस प्रतिशत से दिया था वह इस वर्ष 15 प्रतिशत से किया गया है।

श्री. राजापुरे : लेकिन उससे 5 लाख का फर्क नहीं आता है। यह फर्क केवल हजारों में होना चाहिये। गत वर्ष 67 लाख और इस वर्ष 78 लाख अर्थात 11 लाख से वेतन बढ़ा है। रूपये 78 लाख का 15 प्रतिशत 1 से 1.50 लाख होना चाहिये।

श्री. जुवाटकर : महोदय, इससे ही संबंधित एक प्रश्न है। हमसे कामगारों को जो छटा वेतन आयोग लागू किया है, यह केंद्र सरकार के अनुसार लागू किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस/एक्सग्रेशिया नहीं दिया जाता। इसीलिये इन कामगारों को लागू एक्सग्रेशिया रद्द कीजिये। यदि केंद्र सरकार के वेतनमान के अनुसार वेतन है तो उसे वैसे ही रखिये। बैंक के अनुसार है तो बैंक जैसा रखें, किसी एक विकल्प का चयन करें।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : हम कर्मचारियों का वेतन रूपये 78,81,811/- होने के बाद भी वास्तव में पे बॉंड + ग्रेड पे + डीए की कुल राशि रू. 62,96,792/- तक की है। इसका 15% रूपये 9,44,518/- होगा और 10% रूपये 6,29,679/- होगा। अर्थात रूपये 5,14,839/- फर्क 5% से आता है।

श्री. राजापुरे : आप अंकों की गलती कर रहें हो।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : राजापुरे, यह आँकड़ा जी.एल. से लिया गया है। इसमें कोई गलती नहीं है।

श्री. कुशवाह : अध्यक्ष महोदय, यह सभी आँकड़े गलत है। यहाँ भ्रष्टाचार है।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : यह देखिये, यहाँ भ्रष्टाचार इस शब्द का उच्चारण न करें। ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : अजी राजापुरे, आपको सब बताया गया है। कृपया समझ लिजिये।

श्री. राजापुरे : ठीक है। मेरा अगला प्रश्न लिजिये।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने प्रश्न सं. क्र. 3 पढ़कर सुनाया। गत वर्ष मैंने आपको यह बताया था कि रिजर्व फंड की एक एफडी की रिसिप्ट को मुंबै बैंक ने ब्याज के साथ मॅच्युरिटी अमाऊंट के साथ दी थी। इसीलिये यह रिसिप्ट मॅच्युअर होने तक यह फर्क ऐसी ही रहेगा।

श्री. राजापुरे : आप यह रेक्टीफाई नहीं कर सकते हो क्या ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : सुन लिजिये। रिजर्व फंड की एफडी जब की जाती है तो उसे नियत अवधी के पहले नहीं निकाल सकतें। परंतु उसमें ही, हम वैधानिक लेखापरिक्षकों की अनुमति से या चर्चा कर, कुछ कर सकते है या नहीं, देखेंगे।

श्री. फडोल : यदि रिजर्व फंड से हम रकम नहीं निकाल सकते तो फिर उसका ब्याज हम क्यों लेते ? यह ध्यान रिजर्व फंड में ही जमा होना चाहिये। अर्थात आप हर वर्ष 25% धन जमा करते है और उसके ध्यान का वास्तव में उपयोग करते हो, यह गलत है।

चेअरमैन श्री. शिवाजी पाटील : फडोल, रिजर्व फंडक के एफडी का ब्याज को यदि हम रिजर्व फंड में ही जमा करते है तो उसके आँकड़े मैच नहीं हो पायेंगे। केवल एक रिसिप्ट के ब्याज के आँकड़े जोड़कर मॅच्युरिटी अमाऊंट दिखायी तो जो फर्क आयेगा, उसे आप सुनने के लिये तैयार ही नहीं है। यह आपका वीक पॉईंट है। इस वर्ष हमें इस

पर लगभग 3 लाख रूपये ब्याज प्राप्त हुआ है। यह हमारा लाभ है। यह ब्याज हम उन्हें क्यों दें ? आप सब जानते हो फिर भी आप ऐसी बात कर रहें हो।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने प्रश्न क्र. सं. 4 पढ़कर सुनाया। इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको गत वर्ष दिया हुआ है। हम कर्मचारियों से रूपये 2 हजार सुरक्षा निधि लेते है। उस पर उन्हें ब्याज दिया नहीं जाता है। इसके अतिरिक्त जमा होने वाली सुरक्षा निधि की राशि को हम मुंबै बैंक में जमा करते हैं और उस पर मिलने वाले ब्याज हमारे टर्न ओवर में आता है तथा सदस्यों के साथ कर्मचारियों को हम ब्याज देते हैं। जैसे ही हम सभासदों को सभासद वर्गणी पर अधिकतम ब्याज मिलता है इस कारण से संस्था के कर्मचारी भी स्टाफ सिक्युरिटी फंड में पैसा जमा करता है। यदि किसी कर्मचारी ने धोखा दिया तो यही रकम से पैसा वसुली किया जाता है। यह परंपरा पहले से जारी है।

श्री. राजापुरे : मुंबै बैंक ने हमें सुरक्षा निधि पर कितना ब्याज दिया हुआ है, वह बताईये।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : अजी, यह इस तरह नहीं बता सकते। कारण मुंबै बैंक सब निधियों को जोड़कर एकत्रित रूप से ब्याज देती है। ब्याज के शीर्ष दर्शाते नहीं। ठीक है।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : अगले वर्ष हम लेखापरिक्षकों के साथ बैठकर यह सुधार करेंगे।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने प्रश्न क्र.सं. 5 पढ़कर सुनाया। पृष्ठ क्र. 26 सदस्यों द्वारा जमाराशियाँ बाल भविष्य निधि (रूपये 900/-) की कुल जोड़ी गयी जमाराशि रूपये 49,25,700/- है और उस पर देय ब्याज यह पृष्ठ संख्या 40 पर दर्शाया है।

श्री. राजापुरे : ठीक है।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने प्रश्न क्र. सं. 8 पढ़कर सुनाया। संड्री क्रेडिटर्स की सूची बहुती लम्बी है। आप सोसाइटी कार्यालय में आईये। वहाँ आपको दिखायी जायेगी।

श्री. राजापुरे : ठीक है।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने प्रश्न क्र. सं. 9 पढ़कर सुनाया। विधि शुल्क अर्थात वैधानिक कार्रवाई के लिये जो शुल्क दिया जाता है वह शुल्क, उदा. श्री. रोहित पुरी, जो हमारे विधि सलाहकार है, उनका शुल्क रूपये 30,000/- है।

लीगल एक्सपेंडिचर अर्थात न्यायालय के कार्यों के लिये किया गया खर्च।

श्री. एस.टी. कांबले : तुलनपत्र के संबंध में मैंने भी एक पत्र दिया था।

श्री. जुवाटकर : सोसाइटी कामगारों को छटा वेतन आयोग लागू किया गया है, इसीलिये उनका एक्सग्रेशिया रद्द कीजिये।

श्री. जयवंत मकाजी : सोसाइटी के कर्मचारियों को जो भी कुछ दिया जाता है, वह उन्हें मिलेगा ही। उनकी चर्चा यहाँ न करें। यह अधिकार प्रबंधन समिति का है।

श्री. माने : जुवाटकर, आपके कहने के अनुसार हमें अर्थात केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलता। ठीक है। परंतु हमें अपडेट अलाऊन्स मिलता है ना। आप भी तो रूपये 6,250/- लेते हो ना। जब हमें यह अलाऊन्स लागू हुआ तब बोनस रद्द हुआ। यह जानते हो ना ? सोसाइटी के कर्मचारियों के जो अधिकार है, वह आप नहीं छीन सकते।

श्री. प्रकाश पाटील : हमारी सोसाइटी के कर्मचारी अच्छे हैं। अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उनका जो अधिकार है, यह उन्हें मिलना चाहिये। आज 52 वर्ष से उन्हें

एक्सग्रेशिया दिया जा रहा है। उनका यह हक है। अध्यक्ष महोदय, आप कर्मचारियों के विरोध में किसी का भी न सुने।

सहसचिव श्री. मुरलीधरन : मैं सोसाइटी का सहसचिव हूँ। मैं इस संबंध में कुछ बताऊँ क्या ?

श्री. उमेश गायकवाड : ये बोल नहीं सकते।

श्री. फडोल : जब मडगांवकर को बोलने का अवसर दीजिये ऐसा कहा गया, तब उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। अब इनको बोलने की क्या आवश्यकता है।

श्री. जुवाटकर : एक्सग्रेशिया रद्द कीजिये। सहकार अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है। यदि सहकार अधिनियम के अंतर्गत कुछ वसुली आती है तो वे जिम्मेदार नहीं होंगे आप जिम्मेदार हो।

सभागृह में असमंजस और गड़बड़ी की स्थिति हुई। एक ही समय अनेक सदस्यों ने बोलना आरंभ किया। श्री. मडगांवकर जोर जोर से बोलते हुए गड़बड़ी में सामिल होने के लिये मंच से उतरने लगे। यह सब देखकर संस्था के पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब इन्होंने सुरक्षाकर्मियों को बुलाया और परिस्थिति नियंत्रण में रखने के आदेश दिये। उन्होंने आगे कहा कि मडगांवकर आप मंच से नीचे न जाये। हमें समय पर सभा का कार्य समाप्त करना है।

श्री. जयवंत मकाजी : अध्यक्ष महोदय, इस सभा में केवल पदाधिकारियों को संबोधन देने की अनुमति है। जिन्हें आपने अधिकार नहीं दिया उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है और इस परंपरा को न तोडे। यह लोग शिकायत करते है और संस्था को असुविधा में ड़ालते है।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : सभी से अनुरोध है कि शांति बनाये रखते हुए सभा का कामकाज जारी रखना है। अन्यथा कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगला विषय ले।

श्री. एस.टी. कांबले : कोली साहब, मैंने आपको पत्र दिया है। उसका उत्तर आपने नहीं दिया है।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : कांबले साहब, बैलन्स शीट के संदर्भ में आपके पत्र का उत्तर मैंने दिया है। दूसरे पत्र का उत्तर मैं आपको अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आगामी विषयों पर होने वाली चर्चा के दौरान देना चाहूँगा। आपके पत्र का टिप्पण में तब पढ़कर सुनाऊँगा।

संकल्प : संकल्प पारित किया जाता है कि वैधानिक लेखापरिक्षक और आंतरिक लेखापरिक्षक के वर्ष 2013-14 इस आर्थिक वर्ष के लेखापरिक्षण रिपोर्ट का अध्ययन कर आमसभा द्वारा बहुमत से मंजूर किया गया।

सुझाव : श्री. जयवंत मकाजी (एएफडी)

अनुमोदन : श्री. प्रकाश पाटील (एसआयआरडी)

संकल्प बहुमत से मंजूर किया गया।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने विषय क्र.सं. 6 पढ़कर सुनाया।

विषय क्र. सं. 6 : आर्थिक वर्ष 2014-15 के लिये वैधानिक लेखापरिक्षक की नियुक्ति करना।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : आपकी जानकारी के लिये चाहता हूँ कि, दिनांक 13.08.2013 को महाराष्ट्र सरकार से एक पत्र आया था। उसमें J/47 के स्थान पर आगे का धारा सम्मिलित की जायेगी। धारा 47, 75 और 81 के अनुसार लेखा परिक्षकों की नियुक्ति के लिये और उनका मेहनताना, लेखापरिक्षकों का अनुभव, अर्हता, उनके मानक, कार्यपद्धति और रिपोर्ट का नमूना यह सब अधिकारी आमसभा या प्रबंधन समिति का न होकर, केवल राज्य सरकार के अधीन है। परंतु राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई भी सूचना या परिपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिये यह

जानकारी आपके समक्ष रखी जा रही है। ऑडिटर की नियुक्ति केवल निर्धारित पैनल से की होनी चाहिये। इसके लिये उन्होंने सभी सहकारी बैंकों/संस्था, सोसाइटियों की एक श्रेणी बनायी है। अ श्रेणी, ब श्रेणी, क श्रेणी, ड श्रेणी इस तरह से सूची बनायी है। वेतनधारी सोसाइटियों को अर्थात हमारी संस्था को ब श्रेणी लागू है। इसीलिये हम अ तथा ब श्रेणी की सूची में सम्मिलित लेखापरिक्षकों को नियुक्त कर सकते है।

हमारी संस्था के लेखापरिक्षण के लिये कुछ 9 लेखापरिक्षकों की फर्मों से आवेदन प्राप्त हुए है। उनके नाम निम्नानुसार है।

1. एस. सी. मेहरा एन्ड असोसिएटस्
2. माने, शिंदे एन्ड वेगाड
3. आर. आर. सावले एन्ड कं.
4. आर. वाई. कुलकर्णी एन्ड असोसिएटस्
5. एस.एच.व्ही.आर.के. एन्ड कं.
6. अर्पणा एन्ड असोसिएटस्
7. लाहोटी कासट एन्ड कं.
8. कोचर एन्ड कं.
9. विवेक व्ही जोशी एन्ड असोसिएटस्

आंतरिक लेखापरिक्षण के लिये :

1. माने, शिंदे एन्ड वेगाड

टैक्स लेखापरिक्षण के लिये :

1. एन. के. सुथार एन्ड कं.

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : वैधानिक लेखापरिक्षण के लिये लेखापरिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा निर्धारित पैनल से करना आवश्यक है। यह सभी कोटेशन मुहरबंद है। आप सूचना दें।

श्री. जुवाटकर : यदि पैनल रद्द हो गया है, तो फिर यह क्या है ?

चेअरमैन श्री. शिवाजी पाटील : जब पैनल की लिस्ट बनेगी तब उस लिस्ट में उपलब्ध नामों का विचार करने के लिये प्रबंधन समिति को अधिकार दिये गये ताकि प्रबंधन समिति वर्ष 2014-15 के लिये वैधानिक लेखापरिक्षकों की नियुक्ति कर सकें।

श्री. जयवंत मकाजी : आपके पास अभी जो लिस्ट है वह कितनी है, क्या है यह सब छोड़ दीजिये। सभी सदस्यों का मत है कि कासट का नाम नहीं चाहिये। इसीलिये कासट का नाम लिस्ट में से निकाल दें और बाकी नामों पर विचार करें। प्रबंधन समिति उक्त लिस्ट में से उचित लेखापरिक्षक का चयन करें और सहकार विभाग को सूचित करें।

<u>संकल्प</u> : संकल्प पारित किया जाता है कि वर्ष 2014-15 इस आर्थिक वर्ष के लिये वैधानिक लेखापरिक्षण करने के लिये (1) एस. सी. मेहरा एन्ड असोसिएटस्, (2) माने, शिंदे एन्ड वेगाड, (3) आर. आर. सावले एन्ड कं., (4) आर. वाई. कुलकर्णी एन्ड असोसिएटस्, (5) एस.एच.व्ही.आर.के. एन्ड कं., (6) अर्पणा एन्ड असोसिएटस्, (7) कोचर एन्ड कं., (8) विवेक व्ही जोशी एन्ड असोसिएटस् इन फर्मों में आये प्रस्तावों की जाँच और चर्चा कर उसमें से चार्टड लेखापाल फर्म का चयन करने के लिये प्रबंधन समिति को अधिकार प्रदान किये जाते हैं।

सुझाव : श्री. ए. श्रीधरन (सीडीएम)

अनुमोदन : श्री. आर.एन. कुशवाह (आरआरएमडी)

संकल्प बहुमत से मंजूर किया गया।

<u>विषय क्र.सं. 7 : वर्ष 2014-2015 इस आर्थिक वर्ष के लिये आंतरिक लेखापरिक्षकों और टैक्स लेखापरिक्षकों की नियुक्ति करना।</u>

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : आंतरिक लेखापरिक्षण के लिये माने, शिंदे एन्ड वेगाड तथा टैक्स लेखापरिक्षण के लिये एन. के. सुथार एण्ड कं. का केवल एक-एक कोटेशन प्राप्त हुआ है।

श्री. यदुवीर सिंग : लेखापरिक्षण के लिये क्या आपने विज्ञापन दिया था ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : संस्था के सूचना फलक पर नोटीस लगायी गयी थी।

श्री. यदुवीर सिंग : अध्यक्ष महोदय, आपको संस्था की छोटी-छोटी बातें पता नहीं।

श्री. जुवाटकर : अध्यक्ष महोदय, आपने यह विज्ञापन संस्था के नोटीस बोर्ड पर लगाया था तो बाहर के लोगों को कैसे दिखेगा ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : आपके जैसे सदस्य बाहर अपने अपने परिचितों से इस संबंध में बताते हैं और इसीसे हमें मुहरबंद दरपत्र प्राप्त हुये हैं।

श्री. जुवाटकर : बीएआरसी यह अतिसंवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ ये कैसे आयेंगे। हम जब हमारे परिचितों से कहेंगे तभी तो उन्हें ज्ञात होगा।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : यदि आप सभी को चिंता है, तो आप भी अपने परिचितों से इसके बारे में दरपत्र देने के लिये कहिये। आप क्यों नहीं बताते किसी लेखापरिक्षकों ? आपको यह अधिकार है।

श्री. फडोल : हमें 250 करोड़ की सोसाइटी का लेखापरिक्षण करना है। मैं मेरे लेखापरिक्षक को लेकर आऊँ, आप अपने लेखापरिक्षक को, तो ऐसे कैसे चलेगा ? आप विज्ञापन क्यों नहीं देते।

श्री. टी. एस. कांबले : कोली साहब कहते है कि हमने संस्था के सूचना फलक पर विज्ञापन लगाया था। बीएआरसी यह अतिसंवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ बाहर का कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता, बोल नहीं सकता। इसीलिये आपके पास केवल एक ही विकल्प रहता है और यह अर्थात विज्ञापन देना।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : आप सब जानते है कि हमारा विभाग अतिसंवेदनशील क्षेत्र में आता है, इसीलिये संस्था में लेखापरिक्षण के लिये आनेवाले फर्म के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है और इसीलिये कुछ लेखापरिक्षक इसके लिये तैयार नहीं हैं, परिणाम स्वरूप लेखापरिक्षण समय पर नहीं होता है। इस बात पर भी सभागृह कृपया ध्यान दें।

श्री. श्रीधरन : मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। बीएआरसी एक संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण अब तक लेखापरिक्षण की नोटीस सूचना फलक पर लगाने से हमें कोटेशन प्राप्त होते है, लेकिन आगामी वर्ष में यह विज्ञापन हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। कोई कठिनाई नहीं होंगी।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : ठीक है। आपकी सूचना को मंजूर करने में कोई आपत्ती नहीं है।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब ने आंतरिक लेखापरिक्षण के लिये आये हुये मे. माने, शिंदे एण्ड वेगाड इनका कोटेशन को पढ़कर सुनाया। आंतरिक लेखापरिक्षण के लिये मे. माने, शिंदे एण्ड वेगा इनका मानदेय प्रति तिमाही रूपये 12,500/- है। उसके बाद उन्होंने टैक्स लेखापरिक्षण के लिये प्राप्त में. एन. के. सुथार एण्ड कं. का कोटेशन का मानदेय रूपये 12,500/- ऐसा पढ़कर सुनाया।

चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से विषय क्र.सं. 7 पारित किया गया और तदनुसार संकल्प पारित किया गया।

<u>संकल्प</u> : संकल्प पारित किया जाता है वर्ष 2014-15 इस आर्थिक वर्ष के लिये मे. माने, शिंदे एण्ड वेगाड, सीए इनकी आंतरिक लेखापरिक्षक के रूप में नियुक्ति की जाती है तथा उनके दरपत्र के अनुसार प्रति तिमाही रूपये 12,500/- के दर पर कुल रूपये 50,000/- तक मानदेय मंजूर किया जाता है। और एक संकल्प किया जाता है कि वर्ष 2014-15 इस आर्थिक वर्ष के लिये टैक्स लेखापरिक्षण हेतु में, एन. के. सुथार एण्ड कं., सीए इनकी नियुक्ति की जाती है तथा दरपत्र के अनुसार उनका मेहनताना (मानदेय) रूपये 12,500/- मंजूर किया जाता है।

सुझाव : श्री. अशोक महाले (आरओडी)
अनुमोदक : श्री. गणेश जाधव (ट्रान्सपोर्ट - टीएमयु)

संकल्प सर्वसम्मति से मंजूर किया गया।

तदोपरांत, सचिव महोदय ने विषय क्र.सं. 8 पढ़कर सुनाया।

<u>विषय क्र. सं. 8 : वर्ष 2012-13 इस आर्थिक वर्ष के लिये ऑडिट रिपोर्ट तथा उससे संबंधित त्रुटी निवारण रिपोर्ट (Compliance Report) नोट करना।</u>

श्री. फडोल : आपने विषय सूची पर यह विषय रखा है, परंतु उक्त विषय की रिपोर्ट सदस्यों को नहीं दिया गया है और अब आप पढ़कर हमें मंजूर करने को कह रहे हो, ये कैसी रित है। आपका कामकाज इसी तरह से चल रहा है और कहते हो की सभा समाप्त करें और चलें।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : 97वें घटना संशोधन के बाद ही यह पहली ही आमसभा है। इसीलिये यह विषय इसके पहले नहीं आया था। वर्ष 2012-13 के त्रुटी निवारण रिपोर्ट की हमें नोट लेनी है। यह त्रुटी निवारण रिपोर्ट एक-दो पृष्ठों का नहीं है, वह 18 पृष्ठों का है। सभागृह ने निर्धारित करना चाहिये कि त्रुटी निवारण रिपोर्ट की छपी हुई प्रति सभी सदस्यों को मिले। इस तरह आगामी वर्ष से यह सभी को दी जायेगी।

श्री. प्रशांत वरलीकर : सचिव महोदय ने कहा है कि यह त्रुटी निवारण रिपोर्ट पिछले वर्ष का है और अब हमें केवल नोट करना है। यह रिपोर्ट छापने के लिये संस्था के और पैसे खर्च होंगे, अच्छा होगा की उसे वेबसाइट पर रखें। सभी पढ़ सकेगें।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : सोसाइटी की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर यह रिपोर्ट रखी जायेगी।

श्री. फडोल : अजी, चेंजिंग रूम में वेबसाइट है क्या ? बेवजह, कुछ भी निर्णय न लें।

श्री. वरलीकर : इनको यदि चाहिये तो कम से कम शुल्क पर उन्हें उक्त रिपोर्ट की प्रति देने की व्यवस्था कीजिये।

श्री. फडोल : यदि चाहिये इसका मतलब क्या ? आपको देना आवश्यक है और शुल्क किस लिये लगायेंगे ?

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : आपको संस्था का खर्च बढ़ाने का है क्या ? है तो ऐसे बताईये। हम वैसे करेंगे।

चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से विषय क्र.सं. 8 पारित किया गया और तदनुसार संकल्प पारित किया गया।

<u>संकल्प</u> : संकल्प पारित किया जाता है कि वर्ष 2012-13 इस आर्थिक वर्ष के ऑडिट रिपोर्ट की तथा उससे संबंधित त्रुटी निवारण रिपोर्ट (Compliance Report) की नोट ली गयी।

सुझाव : श्री. शिवलकर (आरईडी)
अनुमोदित : श्री. संजय विशे (एल एण्ड सीएम)

संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने विषय क्र.सं. 9 पढ़कर सुनाया।

<u>विषय क्र. 9 : प्रबंधन समिति ने सहकारी क्षेत्र के सहकार विशेषज्ञ प्रबंधक की नियुक्ति करने के संबंध में।</u>

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : 97वें घटना संशोधन के अनुसार हमारी संस्था का जो आदर्श उपविधि है, उसमें सहकार विशेषज्ञ प्रबंधक से संबंध में जो परिभाषा यह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सहकार विशेषज्ञ प्रबंधक अर्थात सहकारी क्रेडिट सोसाइटी/कर्मचारियों की क्रेडिट सोसाइटी/को-ऑपरेटिव्ह बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक/व्यापारी बैंक आदि संस्थाओं से अनुभव प्राप्त व्यक्ति, सनदी लेखापाल। इसके उपरांत सचिव महोदय ने महाराष्ट्र सरकार का परिपत्र पढ़कर सुनाया।

एक सभासद : यह जो भी सहकार विशेषज्ञ प्रबंधक की नियुक्ति करनेवाले हो, उसे मानदेय देना होना क्या ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : हाँ। उसे मानदेय देना होगा। व्यक्ति यदि संस्था के बाहर का होगा तो उसे मानदेय देना होगा। यात्रा खर्च देना होगा। उसे भत्ता देना होगा।

श्री. फडोल : इससे संबंधित विज्ञापन आप सूचना फलक पर लगाओंगे क्या ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : यह निर्णय सभागृह में लिया जायेगा।

श्री. जयवंत मकाजी : अध्यक्ष महोदय, यदि आंतरिक लेखापरिक्षक को सहकार विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया तब हमारा क्या नुकसान होनेवाला है ?

श्री. फडोल : यह दोनो अलग-अलग है। आपको इसकी नियुक्ति करने के लिये विज्ञापन देना होगा और यह भिन्न होगा।

श्री. जुवाटकर : आपने यदि श्री. फडोल को सहकार विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया तो ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : अजी जुवाटकर, मैंने अभी आपको सहकार विशेषज्ञ प्रबंधक की परिभाषा पढ़कर सुनाता हूँ। उसके अनुसार अगर वह इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं तो हम जरूर उनकी नियुक्ति करगें।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : मेरी जानकारी के अनुसार यह विषय थोड़ा कठिन है। हमें ऐसे व्यक्ति को ढूँढना होगा, उसका इंटरव्हू लेना होगा और उससे कोटेशन लेने के बाद उसको नियुक्त करना चाहिये। नयी उपविधि के अनुसार यह नियुक्ति करना अनिवार्य है। संस्था के कामकाज की दृष्टि से हमें उसकी सहायता होगी।

श्री. प्रकाश पाटील : हमें सहकार विशेषज्ञ प्रबंधक की नियुक्ति करना अनिवार्य हैं क्या ?

मा. सचिव श्री. अरूण कोली : हाँ।

श्री. फडोल : आप विज्ञापन दीजिये और फिर नियुक्ति करें।

चेअरमैन श्री. शिवाजी पाटील : अभी आप केवल प्रबंधक समिति को यह अधिकार दीजिये और इस सभा में हम नोट कर लेते हैं कि निर्वाचन के बाद जो भी प्रबंधन समिति गठित होगी वह हमारे दिये हुए अधिकारी के अनुसार सहकार विशेषज्ञ प्रबंधक की नियुक्ति करेंगे।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : हम ऐसा निर्णय लेते है कि जब नयी प्रबंधन समिति आयेगी उसे यह अधिकार दिया जाये।

श्री. श्रीधरन : हमने यह विषय विषयसूची पर लिया है इसीलिये इस संबंध में निर्णय लेना आवश्यक है। सभा का यह मत हे कि आगामी वर्ष में आमसभा तक ठहरना ठीक

नहीं होगा। हर वर्ष प्रबंधक को बदलना है या उसे ही कायम रखना होगा, यह भी निर्णय अभी होना चाहिये। नहीं तो अगले वर्ष कहोगे कि उसी वक्त क्यों नहीं इसका विचार किया गया ? हमारा मत यह है कि सीए बैंकिंग से जो भी है उन व्यक्तियों की नियुक्ति प्रबंधन समिति का देना चाहिये। अन्य काम ये करेंगे।

श्री. डोलस : अगली कमेटी आयेगी यह सब देखेंगे। फिर हर वर्ष नयी नियुक्ति क्यों करनी चाहिये ?

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : हर वर्ष नयी नियुक्ति करनी है या नहीं, इसका निर्णय नयी समिति करेगी। अभी तो हमने इस प्रबंधन समिति को अधिकार देना चाहिये।

श्री. माने : अध्यक्ष महोदय, नयी समिति आयेगी तब आयेगी। लेकिन अभी जो समिति है, उसे यह अधिकार हमें देना चाहिये। तब तक यह नियुक्ति प्रबंधन समिति करेंगी, यह सभी को मंजूर होगा।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : अभी ऐसा निर्णय हुआ है कि इस नियुक्ति का अधिकार इस प्रबंधन समिति को रहेगा और यह नियुक्ति एक वर्ष तक रहेगी। इसके बाद, आगामी समिति निर्णय करेगी कि क्या करना चाहिये। तब तक यह नियुक्ति प्रबंधन समिति करेगी, यह सभी को मंजूर होगा।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : यह प्रबंधन समिति केअर टेकर नहीं है। जब इलेक्शन घोषित होगा, उसके बाद, यह प्रबंधन समिति केअर टेकर होगा। अभी यह कार्यरत है। ऐसे गलत वक्तव्य से सभागृह को गुमराह न करें।

श्री. एस.टी. कांबले : विषयांतर हो रहा है। कृपया यह विषय पारित कर अगला विषय चर्चा के लिये लें।

चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से विषय क्र.सं. 7 पारित किया गया और तदनुसार संकल्प पारित किया गया।

संकल्प : संकल्प पारित किया जाता है कि प्रबंधन समिति को केवल निर्वाचन तथा सहकार क्षेत्र की किसी व्यक्ति को सहकार विशेषज्ञ प्रबंधक के रूप में नियुक्ति करने का अधिकार वर्तमान प्रबंधन समिति को रहेगा तथा निर्वाचन के बाद गठित प्रबंधन समिति को उनके कार्यकाल तक सहकार विशेषज्ञ प्रबंधक की नियुक्ति का अधिकार दिया जाये, ऐसा निर्णय आमसभा ने सर्वसम्मति से लिया।

सुझाव : श्री. एस.आर. फडोल (एचडब्ल्यूपी)
अनुमोदन : श्री. डी. एस. राजापुरे (आरएचडी)

संकल्प सर्वसम्मति से मंजूर किया गया।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने विषय क्र.सं. 10 पढ़कर सुनाया।

विषय क्र.सं. 10 : प्रबंधन समिति में प्रचालन प्रबंधक की नियुक्ति करना।

सचिव ने उपविधि में उल्लेखित प्रचालन प्रबंधक की परिभाषा पढ़कर सुनायी। प्रचालन प्रबंधक अर्थात सचिव/व्यवस्थापक/महाव्यवस्थापक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/संस्था प्रबंधन में कार्यरत अधिकारी/पंजीकृत कामगार संगठन के प्रतिनिधि।

एक सदस्य : हमारी संस्था के जो मैनेजर है, उन्हें प्रचालन प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया तो चलेगा। इस पर भी विचार किया जाये।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : हमारी संस्था के जो मैनेजर है, उन्हें इस संबंध में सारी जानकारी रहती है। इसीलिये उन्हें यह पद दिया जाये।

श्री. फडोल : आज हमारे पास मैनेजर होता तो ऐसी बैलन्सशीट नहीं बनती।

सचिव ने अगले विषय को शुरूवात करते ही, श्री. एस.टी. कांबले ने कहा कि, विषय क्र.सं. 10 पर निर्णय नहीं हुआ है। हमारे पास उचित मैनेजर नहीं है, कहाँ है बताईय ? फिर भी सचिव अगला विषय ले रहे है। संस्था को गत 14 वर्षों से मैनेजर नहीं है। मैं हर वर्ष कहता आ रहा हूँ।

श्री. प्रशांत वरलीकर : यह हक सोसाइटी कर्मचारियों को दीजिये। इनमें जो वरिष्ठ होगा, उसे यह हक दीजिये। उन्हें निर्णय लेने दें। यह सूचना है। उनका उचित प्रतिनिधि उन्हें सर्वसम्मति से चयन करने दें।

पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब : श्री. वरलीकर इनका प्रस्ताव मंजूर है। कृपया सभी यह नोट कर लें।

श्री. फडोल : संस्था के कर्मचारियों में इस पद के लिये कोई भी योग्य नहीं है।

श्री. श्रीधरन : मैं यह कहना चाहूँगा कि सोसाइटी के लिये एक समिति बनायी थी। उस समिति के सदस्य के रूप मे मुझे आये अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ कि सोसाइटी के कर्मचारी बहुत अच्छे है। अनुभवी है तथा इस पद के योग्य है। इसमें कोई आशंका नहीं है।

एक महिला सदस्य : यहाँ केवल वरलीकर और श्रीधरन ही बोलेंगे । यही केवल योग्य है। हम जो बोलते है, उसे कोई कीमत नहीं है।

श्री. जुवाटकर : सोसाइटी में कोई भी स्नातक नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे मेरे दोस्त श्री. श्रीधरन बोल रहे थे, जब वे उस कमिटी में थे और अब ये ऐसे बोल रहे है। मुझे उनका रोल ही समझ नहीं रहा है।

<u>संकल्प</u> : संकल्प पारित किया जाता है कि सहकार विभाग की सूचना के अनुसार प्रचालन प्रबंधक पद पर कर्मचारियों में से नियुक्त किया जाये, ऐसा संकल्प आमसभा द्वारा किया गया।

सुझाव : श्री. संजय पाटील (सीडीएम)
अनुमोदक : श्री. जयवंत मकाजी (एएफडी)

संकल्प सर्वसम्मति से मंजूर किया गया।

मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने विषय क्र.सं. 11 पढ़कर सुनाया।

<u>विषय क्र.सं. 11 : वार्षिक आमसभा में अनुपस्थित सदस्यों की छुट्टी मंजूर करना।</u>

सचिव ने उपविधि में उल्लेखित सक्रिय सदस्यों की परिभाषा पढ़कर सुनायी।

सक्रिय सदस्य : संस्था के संबंध में निम्न मुद्दों को पूरा करने वाले सदस्यों को सक्रिय सदस्य माना जायेगा। (अ) उक्त सदस्य की संस्था के गत 5 वर्षों में आयोजित किसी एक वार्षिक आमसभा में उपस्थिति रहना चाहिये अथवा आमसभा ने उक्त सदस्य की अनुपस्थिति मंजूर करनी चाहिये। (ब) उक्त सदस्य की संस्था के साथ गत 5 वर्षों में कम से कम एक बार ऋण लिया हुआ चाहिये अथवा संस्था में धनराशि जमा चाहिये।

आज की सभा को अनुपस्थित सदस्यों को सक्रिय रखना हो तो उनकी अनुपस्थिति को मंजुरी देना आवश्यक है।

चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से विषय क्र.सं. 12 पारित किया गया और तदनुसार संकल्प पारित किया गया।

<u>संकल्प</u> : संकल्प पारित किया जाता है कि वार्षिक आमसभा में अनुपस्थित सदस्यों की छुट्टी यह सभागृह सर्वसम्मति से मंजूर करती है।

सुझाव : श्री. प्रकाश पाटील (एसआईआरडी)
अनुमोदन : श्री. अलेक्स (एईएसीसी)

संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया।

सचिव ने विषय क्र.सं. 12 पढ़कर सुनाया।

<u>विषय क्र.सं. 12 : मा. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समय पर आनेवाले विषयों पर चर्चा करना।</u>

मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने किसी को कुछ पूछना है क्या अगर है तो पूछिये ऐसा कहा। परंतु उपस्थित सदस्यों में से किसी ने कुछ भी सवाल अथवा आशंका नहीं जतायी। तदोपरांत, मा. सचिव श्री. अरूण कोली ने उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किये। उसी तरह, आस्थापना द्वारा दिये गये सहकारिता के लिये आभार व्यक्त किये। पदेन अध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब, पदेन उपाध्यक्ष श्री. अलेक्स साहब, इन्होंने अपना कीमती समय देकर सभा में उपस्थिति दर्शायी इसके लिये उनके प्रति भी आभार व्यक्त किये। दिनांक 22 अगस्त, 2014 को वर्ष 2013-14 के लिये लाभांश 15% और अंशदान पर ब्याज 12% का वितरण किया जायेगा इसकी घोषणा की। इसके बाद, राष्ट्रगीत हुआ और सभाध्यक्ष श्री. बेलोकर साहब ने सभा संपन्न होने की घोषणा की।